न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–6 / 2016–2017

संजीव कुमार सिंह बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	02.	3.

आदेश

26.05.2017

आवेदक संजीव कुमार सिंह पिता–सखीचन्द सिंह, ग्राम+पो0–कदवा प्रताप नगर, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर द्वारा वाहन संख्या–BR10H-8863 जो पसराहा थाना कांड संख्या–129 / 2016 दिनांक 13.10.2016 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत जप्त किया गया है, को विमुक्त करने हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत जप्त वाहन से संबंधित प्रासंगिक थाना कांड संख्या के प्रस्ताव की मांग की गयी। पसराहा थाना कांड संख्या–129 / 2016 दिनांक 13.10.2016 के संदर्भ में प्राप्त संबंधित थानाध्यक्ष पसराहा के अधिहरण का प्रस्ताव दिनांक 16.03.2017, के आलोक में प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1016 / सी0आर0, दिनांक 25.03.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष पसराहा के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

थानाध्यक्ष पसराहा के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से संबंद्व वाहन BR10H-8863 मोटर साईकिल है जो दिनांक 13.10.2016 को अवैध रूप से एक Royal Stag का 180 एम0एल0 का शीलबन्द विदेशी शराब का 01 बोतल तथा दो लीटर का प्लास्टिक का बोतल में करीब दो लीटर ताड़ी ले जाने के कम में शेरगढ़ पथ के पास पकड़ा गया। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त मोटर साईकिल की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा प्राथमिकी के नामजद / अभियुक्तों को न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया। जप्ती सूची के अनुसार उक्त मोटर साईकिल से Royal Stag का 180 एम0एल0 का शीलबन्द विदेशी शराब का 01 बोतल तथा दो लीटर का प्लास्टिक का बोतल में करीब दो लीटर ताड़ी बरामद किया गया। जप्ती सूची पर श्री संजीव कुमार थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर है।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। वाहन स्वामी संजीव कुमार सिंह द्वारा दिनांक 26.05.2017 को स्वंय उपस्थित हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वाहन से प्रतिबंधित शराब की बरामदी हुई है तथा उक्त कांड में मैं जमानत पर हूँ और अब कोई अन्य तथ्य वचाव में जमा नहीं करना है।

संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन से एक Royal Stag का 180 एम0एल0 का शीलबन्द विदेशी शराब का 01 बोतल

तथा दो लीटर का प्लास्टिक का बोतल में करीब दो लीटर ताड़ी शराब बरामद किया गया, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब के आधार पर, प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा--58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन से शराब पाया गया, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR10H-8863,मोटर साईकिल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है कि:–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR10H-8863, मोटर साईकिल जो जप्त कर पसराहा थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना मे जप्त वाहन BR10H-8863, मोटर साईकिल का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया
26/3/17

समाहर्त्ता,
खगड़िया
26/3/17